## भारत <br> The Gaxette of India <br> असाधारण <br> EXTRAORDHARY

भाग 11 -खण्ड 3-X खंड (1)
PART II-Section 3-4b-section (i)
प्राधिकार से पो क्लित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 3961
No. 396 )
नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबरी 1997/अभिश्वन 16, 1919
NHW DELHI, WEDNESDAY, OCYMBER 8, $1997 /$ ASHVINA 16,1919

रैल मंत्रालय<br>(रेलवे बोत्र)<br>अधिसूख्यक<br>नईं दिल्ली, 8 अबक्ये. 1997<br>आर.बी.डं.सं. 131/97

 अधात्-

1. लघु काम और पारभ :- (i) न्न नियमों को रेलवे सेवा (सशोधित काम) नियम. 1997 कहा जाएगय।
(ii) इनें 1 जनखरी, 1996 से लागू माना गा।
2. उन गल कर्मचसियों की श्रेणियां जिन पर ये नियम लागू होंग :-
 होगे।
(i) ये नियम लागू नहीं होंगे :-
(क) पूर्व भारतीय गाज्योक स्थायी कर्मचारी जिनें रेल सेत्वा में सर्लात किया गया है, जब तक कि पेसे कर्मचातो रेल सेवा में पूर्ग ममांक्त सेवा विनियमों द्वात शासिस होते हैं;
(ब) उन र्यक्तियों पर, जो राजर्नयिक, कोंसल में अथवा विदेना़ स्थित भारतीय संस्थापनाओं में स्थानीय रूप से सेवर्ध भर्ती है
(ग) उन व्यक्तियों पर. बो पूर्णकालिक रोजगार में नहीं हैं ;
(2) उन ख्यक्तियों पर, किन्हें आक्कस्मिक निधि से भुगतान किया स्ता है;
(ङ) उन व्यरिलयों पर, जिन्हें मासिक दर के क्लावा अन्य रूप से भुगतान किया जाता है, जिसमें वे व्यक्ति भी wमिल हैं जिन्हें केवल मात्रानफ़त दर पर भुगतान किया जाता है ;
(च) उन व्यक्तियों पर जो ठेके पर कार्य कर है हैं। केवल उन व्यक्तियों को छोड़कर जहां ठेके में अन्य प्रकाए से इसका प्रावधान किया गया हो :
(छ) उन व्यकितियों पर जो सेवा-निवृत्ति के बौ्य पुनः रेल नौकरी में लगाए गए हो ;
(ज) उन किसी भी अन्य वर्ग या श्रेणी के ट्यकितयों पर जिन्हें राष्ट्रपति आदेश द्वारा सारे कार्यों से अथवा इन निखमों में निहित प्रादधानों से विसेख रूप से अलग रखा गया हो।
3. परिभाषाएं :- इन लियमों में जब तक अन्यथा अष्षित न हो :-
(i) 'मूल बेतन' का आशय उस वेतन से ल्रेगा जो निर्धारित वेतनमान में आहॉरेत किया जाता है, जिसमें स्थिरीकरण वेतन-वृद्धियां ी शामिल हैं, परन्तु इनमें विशेष वेतन", "वैयक्तिक वेतन", आदि जैसा अन्य प्रकार का केष्च शामिल नहीं है।
(ii) रेल कर्मचारियों के संबंध में "मौजूदा वैसमान' का आशय उस वर्तमान वेतनमान से है जो रेल कर्मचारी द्वारा 1 जनवरी, $19 \% 6$ को मूल अथवा स्थानापन्न रूप से धारित पद (अथवा) जैसा भी मामला हो. पर ला. वैयक्तिक वेतनमान लागू है।

स्पष्टीकरण:- उस रेल कर्मचारी के मामले में, जो 1 जनवरी, 1996 को विदेश में प्रतिनियुक्ति पर अथवा अवकाश पर अथवा विदेश सेका में था या जिसने उस तारीख को एक या एक से अधिक निचले पदोंपर कार्य किया था, ष्तन्तु उच्चतर पद में स्थानापन्न रूप से कार्य करने की स्थिति में उसके मौजूदा वेतनमणु में उसके द्वारा धारित पद पर लागू वेतनमान भी शामिल होगा। लेकिन भारत से बाहर चसे प्रतिनियुक्ति पर या अवकाश अथवा विदेश सेवा में जैसा भी मामला हो, होने की स्थिति में, परन्तु इसके उच्चतर पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने की स्थिति में :
(iii) प्रथम अनुसूची के कालम 2 में उल्लिखित किसी भी पद/ग्रेड के संबंध में 'मौजूदा वेतनमान" का आशय उस वेतनमान से है जिसब उल्लेख उसके कालम 3 में पद के सामने किया गया है :
(iv) "संशोधित परिलब्धियों" का तात्पर्य संशीखित वेतनमान में रेल कर्मचारी के मूल वेतन से है जिसमें संशोधित वेतनभान में वेतन अं। अतिक्त, उसे स्वीकार्य संशोधित प्रैक्टिस बंदी

भता. यद्वि कोई हो, भी शामिल है
(v) प्रथम असूची के कालमह में उल्लिखित किसी भी पद के संबंध में संशोधित वेतनमान का ताल्पर्ये उसके कालम 4 मों पद्ध के सामने उल्लेख किए गए देतनसाण से है बसरें कि उस पद के जिए अलग सो भिन्न भिन्न संशोधित वेतनमान अधिरुचित न किए गए हों
(1i) "अनसप" कि गसपर्य इन नियमों के परिशिष के रूप गें रालग्न अनुसूर्ची से है।
 अल्लेख उसके कालम 4 के गामने किया जाएया।
5. संशोधित वेतनमानों में वेषन का आह्रण … इन नियमों में अन्द्या निहित प्रावधानों को छोडकर, कोर्ज़ मी रेल कुनचारी अपे पद पर लगय साशोधित वेतनमान गें अपना वेतन प्रम्त करेगा।

बश्ते कि कोई रेल करमंचारो मौजूदा वेतनमान में उसकी अगली या किसी अनुवर्ती वेतन वृद्धि की तारीख तक. अथवा वह पद श्रिक्त करने तक अथवा उस वेतनमान में वेतन आहरण करना छोड़ने तक गोजिद्ध वेतनमान में वेतन प्राप्त कर्ने का विकल्प चुन सकता है ।

सप्टीकरण 1.- इस नियम के पर्तुक के अंतर्गत मौजूदा वेतनमान एखने का विकल्प केवल एक मौज़ा वेतनमान के मामले ही ही अनुमेय होगा ।

स्प्टीकरण $2 .-$ ऊपर का गया विकल्य 1 जनवरी, 1996 को अथवा उसके बाद पद पर नियुक्स

 कहते कौ अनमी़ होगी

स्पप्टीकरण $3 .-$ का कीे दे कर्मचारी अपने स्थानापन्न तथा नियमित पद पर कार्यरत रहते हु भारतीय रेल स्थमना सहत्ता के नियम 1313 (मूल नियम 22) अथवा किसी अन्य नियम के वहत अभने दर्तान वेलगन में ही बने रहने का विकल्प चुनता है तोउसका मूल वेतन वही माना आएग जो दह स्याय निधक्त के तौर पर प्राल करती अथवा स्थानापन्न पद पर रहते हुए अगर उदका वेता स्यवी नियकी के वेटनमम से अविक है जाए तो इन दोनों में से उच्चतर वेलनमान है उसका मुल वेतनमान मील जाएगा।
6. विकल्प का प्रयोग
(1) नियम 5 के अंतर्गत चयन का विकल्प लिखित रूप में उस फार्म पर देना होगा जो दूसरी अनुसूची के साथ संलग्न है ओर यह विकल्प उप नियम (2) में वर्णित अधिकारी के पास इस नियम के प्रकाशित होने की तारीख के तीन माह के अंदर पहुंच जाने चाहिए अथवा जहां वर्तमान वेतनमान निर्षारित करने की तारीख के बाद किसी आदेश द्वारा संशोधित किया जाता है तो वहां संशोधित नियम के प्रकाशन की तारीख से तीन माह एक मान्य होगा ।

बशर्ते कि :
(i) उस मामले में यदि कोई रेल कर्मचारी उस नियम या आदेश के प्रकाशित होने की तारीख को देश से बाहर है. छुट्टी पर हो, विदेश सेवा में हो या सक्रिय सेवा में हो, चयन का विकल्प संबंधित अधिकारी के पास कर्मचारी के भारत में आमे और यहां का पदभार संभालने की तारीख के तीन माइ के भीतर लिखित रूप से पहुंच जाए, हथा
(ii) जहां कोई रेल कर्मचारी 1 जनवरी, 1997 को या इसके पहले निलंबित हो जाए और उसके काम पर लौटने की तारीख इस उप नियम के प्रकाशित होने की तारीख के बाद की हो तो वह अषने कार्य दिवस पर लौटने के तीन महीने के अंदर लिखित विकल्प दे सकता है।
(2) विकल्प का चयन रेल कर्मचारी द्वात अपने कार्यालय प्रभुख को दिया जाएगा।
(3) अगर रेल कर्मचारी का लिखित विकब्द उप नियम 1 के अनुसार निर्धारित तारीख के अंदर नहीं प्राप्त होता तो यह मान लिया जाएगा रै वह संशोधित वेतनमान द्वारा शासित है और उसे 1 जनवरी, 1996 से संशोधित वेतनमान अनुसार वेतन दिया जाएगा ।
(4) एक बार चयन का जो विकल्प दे दिया जाएगा उसे ही अंतिम माना जाएगा।

नोट $1:-$ जिन लोगों की सेवा 1 जनवरी, 1996 को या उसके बाद समाप्त कर दी गई और जो मृत्यु, स्वीकृत पदों की समाप्ति के कारण पदभार मुक्त कर दिए जाने के कारण, इस्तीका अथवा अनुशासनिके आधार पर बर्खास्त किए जां इत्यादि कारणों से निर्धारित समय सीमा के अंदर चयन का विकल्प नहीं दे सके उन्हें मी इस नियम की पात्रता का अधिकार होगा।

नोट 2:- जो लोग 1 जनवरी, 1996 को या इसके आद दिवंगत हो गए और इस कारण निर्धरित समयसीमा के अंदर संशोधित वेतममान के लिए षयन का विकल्प नहीं दे सके उन्हें भी 1 जनवरी, 1996 से या उसके बाद की किसी भी तीरिख से उन्हें नये वेतनमान के लिए पात्र माना जाएगा

स्नैसा कि उनके आश्रितों के लिए सर्वाधिक लाभकारी हो। अगर संशोधित वेतनमान उनके हक में है तो बकाया राशि के भुगतान के लिए तत्संबधी कार्यालय प्रमुख द्वारा इस संबंध में उचित कार्रदाई की जाएगी।

7 संखेलिन लेलन्मान में प्रारभिक वेतन का निधोरण
(1) किसी भी रेल कर्मचारी ने यदि नियम 6 के उप नियम (3) के अंतर्गत संशोधित वेतनमान के लिए अपना विकल्प दे दिया है तो उसे 1 जनवरी, 1996 से संशोधित वेतनमान के अनुसार ही वेतन मिलेगा जब तक कि राष्ट्रपति का कोई विशेष आदेश या निर्देश न हो। ऐसे कर्मचारी का वास्तदिक वेतन वही माना जाएगा जो इस पद पर स्थायी तौर पर बने रह कर प्राप्त करता अगर उसो निलंबित नहीं किया जाता और अगर वह स्थानापन्न पद पर है तो उसके मूल वेतन का निर्धारण निम्नांकित तरीके से होगा :-
(क) सभी कर्मचारियों के मामले में
(i) उनके वर्तमान वेतन में मूल वेतन का 40 प्रतिशत उनकी "मौजूदा परिलब्धियों" में जोड़ दिया जाएगय
(ii) इस प्रकार से बढ़ाई गई मौजूदा परिलब्धियों के बाद संशोधित वेतनमान में वेतन को इस प्रकाए निर्धारित किया जाएगा जो इस बढे वेतनमान से अगले चरण का वेतनमान होगा।
(9)
(क) यदि संशोधित वेतनमान की न्यूनतम राशि, इस बढ़ वेतनमान से ज्यादा हो तो संशोधित वेतनमान के न्यूनतम पर कर्मचारी का नया वेतन निर्धारित होगा :
(ख) अगर इस प्रकार बढा वेतन संशोधित वेतनमान के अधिकतम से अधिक हो तो कर्मचारी का नया वेतन संशोधित वेतनमान के अधिकतम पर निर्धारित होगा।
 वेतनमान में समूहबद्ध होना पडा हो अर्थात् उसे संशोधित वेतनमान में उस समय स्थायी होना पड़े जब उसने लगातार चार बार वर्तमान वेतनमान में वेतनवृद्धि अर्जित कर रखी हो तो उन्हें उस वेतनमान में तरक्की देकर निम्नलिखित तरीके से उस स्थान तक पहुंचाया जाएगा, जहां वे -
(क) अगर उन्होंने वर्तमान वेतनमान में 5 लेकर 8 वेतनवृद्धि हासिल की हो तो उन्हें सशोधित वेतनमान की एक वेतनवृद्धि दी जाएगी।
(ख) अगर रेल कर्मचारी ने वर्तमान वेतनमान में 9 से लेकर 12 वेतनवृद्धियों हासिल की हो यदि समूहबद्धता 8 वे स्टेज से ऊपर हो तो उसे संशोधित वेतनमान की 2 वेतनदृद्धियां दी जाएंगी।
(ग) अगर रेल कर्मचारी ने वर्तमान वेतनमान में 13 से लेकर 16 तक वेतनवृद्धियां हासिल की हो, यदि समूहबद्धता 12 वें स्टेज़ से ऊुपर हो तो उसे संशोधित वेतनमान की 3 वेतनवृद्धियां दी जाएंगी।

उपर्युक्त ढंग से वेतन में वृद्धि किए जाने से यदि किसी रेल कर्मचारी का वेतन संशोधित वेतनमान के उस स्टेज पर निर्धारित है जो कि अगली उच्च स्टेज अशवा र्टेजों वाले वेतनमान वाले कर्मचारियों को प्राप्त हो रहा है, तब ऐसी स्थिति में बाद वाले कर्मचारी का वेतन उसी सीमा तक बढ़ाया जाएगा जितनी कि वह पिछले कर्मचारी के वेतन की दुलना में कम हो।

बशर्ते यह भी कि :-

इस प्रकार से किया गया निर्घारण यह सुनिश्रित करेगा कि प्रत्येक कर्मचतारी को वर्तमान वेतनमान की प्रत्येक तीन वेतनवृद्धि पर स्थिरीकरण केतनवृद्धि (वेतनवृद्धियों सहित, यदि कोई हो) संशोधित वेतनमान की कम-से-कम एक वेतनवृद्धि प्रम्त हो।

सपष्टीकरण - इस उप खण्ड के प्रयोजन के लिए खर्त्रमान परिलब्दियों में शामिल होगा,
(क) मौजूदा वेतनमान में मूल वेतन
(ख) सूचकांक औसत $1510(1960=100)$ पर देय उपयुक्त महुंगाई भती तथा
(ग) मौजूदा वेतनमान में मूल वेतन पर देय अंतरिम राहत की पहली तथा दूसरी किस्त
(ख) उन कर्मचारियों. जो वत्तमान वेतनमान में केलन के अतिरिक्त विशेष वेतन/भत्ता प्राप्त कर रहे है तथा उनके वेतनान के स्थान पर ऐसे वेतनमान की सिफारिश की गई है, जिसमें वेतनाभता न हो. के मामलों में उनके वेतण का निद्धारण खंड (क) के प्रावधानों के अंगसार संशोधित वेतनगाण में किया जाएगा. सिवाय इसके कि ऐसे मामलों में भौजूदा परिलब्धियाँ शब्द जोड़ दिया जाएगा. जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे
(क) गौजूदा वेतनगान में गूल वेतन
(ख) विशेष वेतनाभत्ता की वर्तमान राशि
(ग) संगत आदेशों के अधीन 1510 सूचक्रांक औसत $(1960=100)$ पर देय महंगाई भत्ता :और
(घ) वर्तमाने वेतनमान के मूल वेतन पर देय अंतरिम राहत की पहली तथा दूसरी किस्त तथा संगत आदेशों के अभीन विशेष वेतन की राशियां
(ग) उन कर्मचारियों, जो कि वर्तमान वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त अन्य नाम पद्धति के अंतर्गत विशेष वेतन घटक प्राप्त कर रहे हैं जैसे कि छोटे परिवार के मानको को प्रोत्साहन देने के लिए व्यक्तिगत वेतन, सचिवालय सहायकों के लिए विशेष वेतन, केंद्रीय (कार्यकाल पर प्रतिनियुक्ति) भत्ता तथा जिनके मामले में इनके स्थान पर सादृश्य भत्ता/वेतन के साथ संशोधित वेतनमान उपर्युक्त खंड (क) के प्रावधानों के अनुरूप निर्धारित होंगे ऐसे मामलों में नई संस्तुत दर पर संशोधित वेतनमान पर वेतन के अतिरक्ति भत्ते प्राप्त होंगे।
(घ) रेल चिकित्सा अधिकारियों के मामले में चिकित्सा अधिकारी जो कि प्रैक्टिस बंदी भत्ता प्राप्त कर रहे हैं संशोधित वेतनमान में वेतन उपर्युक्त खंड (क) के प्रावधानों के अनुरूप निर्धारित होगा सिवाय इसके कि "वर्तमान परिलब्धियों" में प्रैक्टिस बंदी भत्ता शामिल नहीं होगा तथा उसमें मात्र गिम्नलिखित शामिल होंगे :-
(क) वर्तमान वेतनमान वें मूल वेतन ;
(ख) संगत आदेशों के अंतर्गत मूल वेतन के अनुरूप महंगाई भता तथा सूचकांक औसत 1510 (1960=100) पर देय *्रैक्टिस बंदी भत्ता. और
(ग) मौजूदा वेतनमानों वें मूल वेतल पर दी गई अंतरिभ राहत की पहली और दूसरी किस्त तथा प्रएंगिक आदेशों के तहत देय प्रैक्टिस बंदी भत्ता।

तथा ऐसे मामलों में नयी दर पर प्रैक्टिस बंदी भत्ता संशोधित वेतनमानों पर यथा निर्धारित वेतन के अलिरिक्त होगा।

नोट 1:-775-12-87114-955-15-1030-20-1150 रू. के मौजूदा वेतनमान में 1030 रूपए तक वेतन प्राप्त करने वाले रेल कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण एस- 2 वेतनमान में किया जाएगा तथा 1030 रूपए से अधिक वेतन पाने वालों का निर्धारण एस-3 के वेतनमान के वेतन में किया जाएगा।

नोट 2:- उस स्थिति में जरकि किसी कर्मचारी की वेतनवृद्धि जनवरी, 1996 की पहली तारीख को हो रही है तो उसके पास वेतनवृद्धि को मौजूदा वेतनमान या संशोधित वेतनमान में प्राप्त करने का विकल्प रहेगा ।

नोट 3:- जहां कि कोई रेल कर्मचारी जनवरी, 1996 की पहली तारीख को छुट्टी पर हो तो वह संशोधित वेतनमान के लिए उसी दिन से हकदार होगा जिस दिन वह ड्यूटी पर आएगा। निलंबित रेल कर्मचारी के माभले में वह गौजूदा वेतनमान पर निर्वाह भत्ता प्राप्त करता रहेगा तथा संशोधित वेतनमान में उसका वेतन लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाहियों पर अंतिम निर्णय लिए जाने के अधीन होगा -

नोट 4:- जब कोई रेल कर्मवारी किसी स्थायी पद पर हो तथा नियमित आधार पर किसी उचच पद पर स्थानापन्न रूप में कार्यरत हो तथा दोनों पदों पर लागू वेतनमानों का एक में विलय कर दिया गया हो ऐसे में केतन का निर्धारण इस उप नियम के अधीन स्थानापन्न पद के संदर्भ में ही कियहजाएग तथा इस प्रकार निर्धारित वेतन ही मूल वेलम माना जाएगा ।

इस नोट के प्रावधान उन रेल कर्मचारियों पर आवर्शक परिवर्तनों सहित लागू होंगे जो विभिन्न मौजूदा वेतनमानों के स्थान पर एक संशाधित वेतनमान वाले स्थानापन्न पद पर कार्यरत हैं।

नोट 5:- खंड (क), (ख), (ग) एवं (घ) के अनुस्सर यदि किसी रेल कर्मचारी की मौजूदा परिलक्धियां संशोधित परिलब्धियों से अधिक हो जाती हैं तो उस अंतर को भविष्य में वेतनवृद्धि के लिए व्यक्तिगत वेतन में समाहित कर लिया जाएगा।

नोट 6:- जहां उपनियम (1) के अधीन वेतन निर्धारण में कोई रेल कर्मचारी मौजूदा वेतनमान मे 1 जनवरी, 1996 के तुरंत पहले समान कैडर के किसी कनिष्ठ रेल कर्मचारी की तुलना में अधिक वेतन प्राप्त कर रहा था तथा संशोधित वेतलमान में उसका वेतन एक ऐसी स्टेज पर निर्धारित है जो कि उस कनिष्ठ से कम हो तब ऐसी ी्थिति में उसका वेतन उसी संशोधित स्टेज तक बढा दिया जाएगा जिस स्टेज़ पर वह कनिष्ठ कर्मचारी हो ।

नोट 7:- जहां कोई रेल कर्मचारी 1 जनवरी, 1996 को व्यक्तिगत वेतन प्राप्त कर रहा हो जो कि खंड (क), (खा), (ग) अथवा (घ) जैसा भी मामला हो, के अनुसार परिकलित होने पर उसकी मौजूदा परिलब्धियां जुड़ने पर संशोधित परिलब्धियों से अधिक हो जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में आधिक्य वाले अंतर को वेतन की भावी वृंियां कर्मचारी के व्यक्तिगत वेतन के रूप में समाहित कर लिया जाएगा।

नोट 8:- उन कर्मचारियों के मामलों में जो कि 1 जनवरी, 1996 के पूर्व "हिंदी शिक्षण योजना" के अंतर्गत हिंदी प्राज, हिंदी टंकण, हिंदी आशुलिपिक तथा इस प्रकार की अन्य परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के लिए या रोकड़ शाखा एवं लेखा मामलों में सफल प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत वेतन प्राप्त कर रहे हैं. उनका यह व्यक्तिगत वेतन संशोधित वेतनमानों में मूल वेतन के निर्धारण के लिए शामिल नहीं किया जाएगा, वे 1 जनवरी, 1996 से या उसके आगे की उस अवधि के लिए उस व्यक्तिगत वेतन को प्राप्त करते रहेंगे जो कि वे संशोधित वेतनमान का निर्धारण न होने की स्थिति में प्राप्त करते। ऐसा व्यक्तिगत वेतन, निर्धारण की तिथि से वेतनवृद्धि की उचित दर से उस अवधि तक के लिए दिया जाएगा, जिस अवधि तक कर्मचारी उसे प्राप्त करता रहता ।

स्पष्टीकरण - इस नोट के लिए, "संशोधित वेतनमान में वेतनवृद्धि की उचित दर" का अर्थ होगा, संशोधित वेतनमान पर कर्मचारी के वेतन निर्धारण के तुरंत बाद उसे देय वेतनवृद्धि की राशि ।

जोट 9- ऐसे मामलों में जहां किसी रेल कर्मचारी की एक जनवरी, 1996 के पहले किसी उच्चतर पद पर पदोन्नति हो जाती है तथा वह उस कनिष्ठ कर्चचारी से कम वेतन प्राप्त कर रहा है जो कि 1 जनवरी. 1996 के बाद उच्च पद पर पदोन्नत किया गया है तब उस स्थिति में वरिष्ठ रेल कर्मच्चारी का वेतन उसी मात्रा में बढ़ा दिया जाए जो कि उसके कनिष्ठ कर्मचारी को उच्च पद पर दिया जा रहा है यह वृद्धि कनिष्ठ रेल कर्मचारी की पदोन्नति की तारीख से की जाएगी तथा वह निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी, अर्थात् :-
(क) कनिष्ठ तथा वरिष्ठ रेल कर्मचारियों को एक ही कैडर का होना चाहिए तथा जिस पद पर वे पदोन्नत हुए हैं वह कैडर में समान पद होने चाहिए।
(ख) निम्नतर तथा उच्चतर पदों के संशोधन पूर्व तथा संशोधित वेतनमान, जिनमें कि वे वेतन पाने के अधिकृत हैं, समान होने चाहिए।
(ग) वरिष्ठ रेल कर्मचारी पदोन्नति के समय कनिष्ठ कर्मचारी के बराबर या उससे अधिक वेतन प्राप्त कर रहे हों ।
(घ) विसंगति सीथे तौर पर भारतीय रेल स्थापना संहिता, जिल्द-2 नियम 1313 (मूल नियम 22) के प्रावधानों के लागू होने के कारण अथवा किसी संशोधित वेतनमानों में इस प्रकार की पदोन्नति में वेतन निर्धारण को नियंत्रित करने वाले अन्य किसी नियम या आदेशों के कारण होनी चाहिए । यदि कनिष्ठ पद पर भी कोई कनिष्ठ अधिकारी संशोधन षूर्व वेतनमान के अनुसार वरिष्ठ अधिकारी की तुलना में अग्रिम वेतनवृद्धि दिए जाने के कारण अधिक वेतन प्राप्त

करता रहा है तो इस नोट के प्रावध्धानों को लागू करते हुए वरिष्ठ अधिकारी के वेतन को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है।

उपर्युक्त प्रावधानों के अनुरुप वरिष्ठ अधिकारी के वेतन का पुनर्निध्धारण भारतीय रेल स्थापना संहिता जिल्द 2 नियम 1321 (मूल नियम-27) के अंतर्गत होना चाहिए तथा वह अधिकारी अगली वेतनवृद्धि के लिए उसके वेतन पुनर्निर्धारण के समय आवश्यक अर्हक सेवा पूरी कर चुका हो।
(2) नियम 5 के प्रावधानों के अधीन, उप नियम (1) के तहत यदि स्थानापन्न पद पर यथानिर्धारित वेतन मूल पद में नियत किए गए वेतन से कम है तो पूर्व को मूल वेतन के अगली र्टेज से ऊपर नियत किया जाएगा।
8. संशोधित वेतनमान में अगली वेतनवृद्धि की तारीख - कोई रेल कर्मचारी, जिसका वेतन नियम 7 के उप नियम (1) के अनुसार सांशोधित वेतनमान में नियत किया गया है तो उसकी अगली वेतनवृद्धि उसी तारीख को दी जाएगी जिस तारीख को उसने वर्तमान वेतनमान में जारी एहने की अवस्था में वेतनवृद्धि प्राप्त करनी थी।

बशर्ते कि जहां एक रेल कर्मचारी का वेतल उप नियम (1) के नोट 6 या 9 की शर्तों और नियम 7 के उप नियम (1) के द्वितीय परंतुक के अधीन बढ़ाया गया हो तो ऐसे मामलों में अगली वेतनवृद्धि संशोधित वेतनमान सेवा में बढ़ाई गई तारीख से 12 माह की अहंक सेवा के पूरी करने के पश्चात् दी जाएगी।

इसके अतिरिक्त यह भी कि ऐसे मामले, जो पूर्व परंतुक में नहीं आते हैं, में एक ऐेल कर्मचारी की अगली वेतनवृद्धि जिसका वेतन 1 जनवरी, 1996 को नियत किया गया हो, उसी कैड्र में उससे कनिष्ठ एक अन्य रेल कर्मवारी, जो मौजूदा वेतनमान में उससे निम्न स्तर का वेतन पा रहा हो, के समान उसी तारीख को प्रदान की जाएगी यदि उससे कनिळ की वेतनवृद्धि की तारीख पहले पड़ती है ।

यह भी कि ऐसे व्यक्ति, जो 1 जनवरी, 1996 को मौजूदा वेतनमान का अधिकतम वेतन एक वर्ष से अधिक समय से पा रहे थे, को 1 जनवरी. 1996 से संशोधित वेतनमान में अगली वेतनवृद्धि दी जाएगी।

नोट :- ऐसे मामलों में, जहां दो मौजूदा वेतनमानों में से एक को दूसरे के लिए पदोन्नति वेतनमान होने के कारण मिला दिया गया हो और जब कनिष्ठ रेल कर्मचारी अपना वेतन अब निचले वेतनमान में समान अथवा नीचे के स्तर पर पा रहा हो तथा संशोधित वेतनमान में वह

भौजदा उच्चतर वेकनमाण में कर्यरत वरिष रेल कर्यचारी के वेतन से अधिक वेतन ले रहा हो तो ऐसी स्त्थित सं सोलित वेलनमान मे वरिष्ट रेल कमचारी का वेतन बढ़ाकर उसी तारीख से उक्त कनिष्ट कर्मचाती के वेतन के बराबए कर दिया जाएगा और इस प्रकार बढ़ए गए वेतन की तारीख से अह्हे अवधि पुी करने पर ही वह अपनी अगली वेतनवृद्धि प्राप्त करेगा।
9. 1 जनवरी, 1996 के बाद संशोधित वेतनमान में वेतन का निर्धारण-

यदि कोरे रेल कर्गाची मौज़ा वेतनमान में अपना वेतन लेना जारी रखता है और 1 जनवरी 1996 के बाद किसी तारीख से संशोधित वेतनमान में लारम जाता है तो बाद की तारीख सं संशोलित वेतनमान में उसके वेतन का निर्धरण रेलवे मूल नियम के तहत किया जाएगा और इस प्रोजन के लिए मौज़दा वेतनमान में उसके वेतन का अर्थ यथस्थिति नियम 7 के उप नियम (1) के खंडे (क). (ख), (ग). या खंड (घ) के अनससर वर्तमान परिलब्धियों के रुप मे परिकलित अर्थ के स्मान हो होग रिवाय इसके कि उन परिलहिधयों के परिकलन
 और जहां रेल कम्मचारी विशष वेतन या पैक्टिस बंदी भत्ता प्राप्त करता हो. ऐसे में उसका वेतन, संशोधिव दरों में इस प्रकार परिकलित परिलबिधयों में से उसके विशेष वेतन या प्रैक्टस बंदी मलते जैसी भी स्थिति हो, के बराबर की राशि काटकर निर्धारित किया जाएगा।
10. एक जनवरी, 1996 के बाद पुनर्नियुक्त होने पर उस तारीख से पहले के पद का वेतन निर्धारण - कोई रेल कर्मचारी, जो 1 जनावरी, 1996 से पहले किसी पद पर स्थानापन्न रुप यें रहा हो पर्तु उसा तारीख को उस पद पर न हो और जो बाद में उस पद पर नियुक्त होने पर संश्रोधित वेतनमान का वेतन पाता है तो उसे भारतीय रेल स्थापना संहिता, जिल्द- 2 के नियम 1313. (नल नियम 22) के परंतुक का लाभ उस स्थिति में दिया जाएगा कि क्या वह 1 ज़ववरी, 1996 को उस पद पर था और उराने उस तारीख को और उस तारीख से संशोटित वेतनमान लेने का विकल्प दिया था।
11. वेतन के बकाया के भुगतान की पद्धति - बकाया का भुगतान इरा शर्त के साथ नकद किखा जाएगा कि जहां बकाया राशि 5000 रु. से कम है, वहां यह राशि एक किस्त में प्रदान की जाएगी और जहां यह राशि 5000 रु. से अधिक है, वहां यह दो किस्तों में भुगतान की जाएगी पहली किस्त में 5000 रु तथा बकाया को शेष राशि के 50 प्रतिशत तक का भुगतान किया जएएगा ।

स्पष्टीकरण - इस नियम के प्रयोजन हेतु :
(क) किसी रेल कर्मचारी के संबंध में "वेतन बकाया" का अर्थ निम्नलिखित के बीच का अंतर:-
(i) उस वेतन तथा भत्तों का कुल जोड़ जिनके लिए वह इन नियमों के तहत अपने वेतन एवं भत्तों के संशोधित हो जाने के परिणामस्वरुप संक्द्ध अवधि के लिए पात्र होगा, और
(ii) उस अवधि के कुल वेतन एवं भत्ते जिसके लिए वह अपने वेतन एवं भत्ते इस प्रकार संशोधित न किए जाने की स्थिति में पात्र होता (चाहे ऐसे वेतन और भत्ते प्राप्त किए गए हैं या नहीं) हो ।
(ख) "संबद्ध अवधि" का अर्थ है 1 जनवरी, 1996 से प्रारंभ होकर 30 सितंबर, 1997 को समाप्त होने वाली अवधि ।
12. नियमों का अधिक्रम्मण - रेलवे मूल नियमों के प्रावधानों, रेल सेवा (वेतन का संशोधन) नियम, 1947, रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 1960 रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 1973 और रेल सेवा (संशोधित वेतन), नियम 1986, इन नियमों में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, ऐसे मामलों में जहां इन नियमों के अधीन वेतन नियमित किए जाएंगे, उस सीमा तक लागू होंगे जहां तक वे इन नियमों के अनुरुप होंगे।
13. छूट देने का अधिकार- राष्ट्रपति, जहां यह मानें कि इन नियमों के सभी या किसी प्रावधानों को लागू करने से किसी विशेष मामले में अड़चन उत्पन्न होती है तो वह उस सीमा तक और उन शर्तो के अधीन उस नियम को लागू करने में छूट देने का आदेश दे सकते हैं जहां तक वे मामले को न्यायसंगत तरीके से निपटने के लिए आवश्यक समझें।
14. व्यख्या-इन नियमों के किसी प्रावधानों की व्याख्या पर यदि कहीं कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, तो उसे निर्णय के लिए रेलवे बोर्ड के पास भेजा जाए।

## प्रथम अनुसूची

## (नियम 3 और 4 देखें)* 5620

(1) रेलवे बोई सचिवालय (2) अनुसंधान. अभिकल्प एवं मानक संगवन, लखनऊ (3) रेलवे स्टाफ कालेज, वडोदरा (4) रेल दर अधिकरण, चेन्नई (5) रेल दावा अधिकरण, नई दिल्ली (6) रेल संचलन (कोयला) कलकत्ता (7) सभी रेल भर्ती बोर्ड (8) भारतीय रेल सिगनल इंजीनियरी एवं द्रसंचार संस्थान, सिकन्दराबाद (9) भारतीय रेलवे सिविल इंजीनियरी संस्थान, पुणे (10) भारतीय रेल विद्युत इंजीनियरी संस्थान, नासिक (11) भारतीय रेल यांत्रिकी एवं विद्युत अभियांत्रिकी संस्थान जमालपुर (12) कैमटैक, ग्वालियर के कार्यालयों में समूह "क" "ख" "ग" और "घ" में वर्तमान वेतनमान वाले पदों, उन पदों को छोड़कर जिनके लिए भिन्न-भिन्न संशोधित वेतनमान अलग से अधिसूच्चित किए गए हैं, के लिए संशोधित वेतनमान :-

फ्र. वेतनमान संख्या
सं.
1
9. एस-9

## वर्तमान येतनमान

(रु.)
3

750-12-870-14-94n
775-12-071-14-1095
800-15-1010-20-1150
225-15-20n-2n-1200
(अ) 950-20-1150-25-1400
(ब) $950-20-1150-25-1500$
(स) $1150-251500^{*}$
(अ) $975-25-1150-30-1540 \quad 3200-85-4900$
(ब) $975-25-1150-30-1660$
(अ) 1200-30-1440-30-1800 4000-100-6000
(ब) $1200-30-1560-40-2040$
(स) 1320-30-1560-40-2040
(अ) $1350-30-1440-40-$
$1800-50-2200$
(ब) $1400-40-1800-50-2300$
(अ) $1400-40-1600-50-$
2300602500

संशोधित वेतनमान
(रु.)
4

2550-55-2660-60-3200
2610-60-3150-65-3540 2650-65-3300-70-4000 $2750-70-3900-75-4400$ 3050-75-3950-80-4590

4500-125-7000

5000-150-8000
(अ) 1600-50-2300-60-2660
*पदधारी के लिए वैयक्तिक/संदर्भ : पी सी-IV/86/इम्प/शिड्यूल/1 दिनांक 6.3.1987


## अनुदेश :

(1) संशोधित वेतनमान रेलवे कर्मचारियों की समसी कोटियों के लिए, उनके पदनाम का विचार केए बिना पूर्णत: वर्तमान वेतनमान के आधार पर सिवाय उनके ीो कि क्र तो 13 (एस-14) के अर्गत आती हैं, जो कि वर्तमान वेतनमान क. 2375-75-3050-100-3750 में रेलवे दो ओेड "बी" अधिकारियों (रेलवे बोर्ड व आर ही एस.ओ के अतिरिक्त) पर ही लाग होता है लाग् है । वेतन का नियतन सीधे संशोधित तेत्जमान में होगा न कि नोशूल पूर्व संशोधित वेतनमान मे
(2) संशोधित वेतनमान में रेलवे कर्मचारियों का समूह "ध" "ग" "ख" और "क" में वर्गीकरण अगले आदेशों तक वर्तमान वेतनमान के आधार पर ही रहेगा। संशोधित वेतनमान में वर्गीकरण में कोई बदलाव नहीं किया जाना चाहिए।
(3) अ्रस्तावित नया पूर्व संशोधित वेतनमान रु. $2500-4000$ (जो कि संशोधित वेतनमान रु. $7500-12000$ का समकक्ष है) वेतनमान रु. $2200-4000$ (जो कि संशोधित वेतनमान रु 8000-13500 के समकक्ष है ) रो कम वेतनमान है।
(4) संशोधित वेतनमान एस 10 ए (रु. 6000-190-9800) केवल मेल/एक्सप्रेस/सीनियर पैसेजर ड्राईवर व सीनियर मोटरमैन, जो कि वर्तमान 1640-60-2600-75-2900 के वेतनसान में है की कोटि के लिए लाग है। यह वेतनमान किसी भी अन्य श्रेणी के कर्मचारियों के लिए लाग नहीं होगा।

> दूसरी अनुसूची
> दिक्व काम
> (नियम $6(i)$ देखें)

* (i) में 1. पददद्धारा दिचांक 1 जनवरी. 1996 से लाग संशोधित वेतणमाण का नमन कुला है ।
- (ii) 欮 अपने मूल/स्थागापन्न पद में मौजृदा वेतनमान पर
निम्नानुसार बने रहने का चयन करता हुं
*मेरी अगली वेतनवृद्धि की तारीख
*मेरी बाद की वेतमदृधि की तारीख तक जब तक मेरा वेतन. ........ खू. हो जाए
* मैं गौंजुदा वेतनगान गे वेतन लेना बंद कर दूं अथवा छोड़ दूं

*(1ii) 光
(क) वर्तमाण वेतनमाज
में या (ख) संशोधित
वेतनमान में ** दिनीक 1 जनवरी, 1996 को होने वाली वेतन वृद्धि का चयन करता हूँ।


लिसक
च्वेश्र

4. निएल 7 का नीद ? स्व

* หी/ भीरती/कुमारी $\qquad$ *पुत्र/पुत्री/पत्नी
पदनाम कार्यालय/स्टेशन $\qquad$ से एक विकल्प


## पान

*(i) 1 जनवरी, 1996 से समस्त पदों के लिए संशोधित वेतनमान का घयन।
*(ii) अपने मूल/स्थानापन्न पद के वर्तमान वेतनमान पर निम्नानुसार बने रहने का चयन,

* अगली वेतनवृद्धि की तारीख तक
*अपनी बाद की वेतनदृद्धि की तारीख जब तक उसका वेतन रु. हो जाए
* वह वर्तमान वेतनमान में वेतन प्राप्त करना षंद कर दे अथवा छोड दे

नडगान से $\begin{gathered}\text { ल. }\end{gathered}$
*(iii) वह दिनांक 1.196 को होने वाली अपनी वेतनवृद्धि *(क) वर्तमान वेतनमान स या *(ख) संशोधित वेतनमान में लेने का चयन करते हैं।**

हस्ताक्षर
पदनाग
कायालय जिसमें कार्यरत हैं
$9 x$
+are
" गाप न है, माट दिया गए
** निराम 7 का नोट 2 त्रेख

प्रथम अनुसूची केवल रेलवे बोर्ड व उससे संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के पदों से संबंधित है। रेलों. उत्पादन इकाइयों, परियोजनाओं व अन्य कार्योलयों के पदों से संबंधित अनुसूची कार्यपालक आदेशों के तहत अलग से जारी की जा रही है।
(संशोधित वेतन नियम, 1997)

नियम 1 यह नियम स्वतः स्पष्ट है।

नियम-2 यह नियम उन कर्मचारियों को कोटिबद्ध करता है जिन पर ये नियम लागू होते हैं। खंड (2) में वर्गीकृत कोटियों को छोड़कर ये नियम राष्ट्रपति के अधिकार में आने वाले एवं रेलवे बोर्ड के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करने वाले सभी व्यक्तियों पर लागू होंगे ।

नियम-3 यह नियम स्वतः ही स्पष्ट है ।

नियम-4 केन्द्र सरकार की कुछ कोटियों/वर्गों के कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग की सिफारिशों पर उनके द्वारा अन्य कोटियों के लिए संस्तुत वेतन से विसंगति और सापेक्षता के मद्देनजर क्षुब्ध होकर अभ्यावेदन किए गए हैं । इन सभी मामलों में, जहां किसी विभाग या कैडर में पदों की व्यक्तिगत कोटियों के वेतनमान को अपग्रेड किया जाना है, वेतनमान को समीचीन बनाये जाने के अलावा, उनके वर्तमान वेतनमान में संशोधन पहली अनुसूची के अनुसार स्वीकृत होगा । तत्संबंधी आदेश बाद में अलग से जारी किए जाएंगे ।

नियम 5 इस नियम का अभिप्राय यह है कि सभी रेल कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान के अंतर्गत लाया जाए सिवाय उनके जो वर्तमान वेतनमान में ही बने रहना चाहते हैं। जो वर्तमान वेतनमान में ही बने रहना चहते हैं उन्हें अन्तरिम राहत और महंगाई भत्ते की वे किस्तें मिलती रहेंगी जो 1 जनवरी, 1996 को लागू थीं और महंगाई भत्ता उस कुल परिलब्धि में शामिल माना जाएगा जो पेंशन आदि के लिए उस तारीख से लागू हैं । अगर रेल कर्मचारी मूल हैसियत से स्थायी पद पर हैं और कार्यवाहक के रूप में उच्चपदस्थ हैं या एक या अधिक पदों पर कार्यरत रहा होता, अगर वह प्रतिनियुक्ति आदि पर नहीं होता तो उसे एक वेतनमान के संबंध में मौजूदा वेतनमान को रखने का विकल्प होगा। वह रेल कर्मचारी किसी स्थायी पद या कार्यवाहक पदों को लागू मौजूदा वेतनमान को रख सकता है। शेष पदों के संबंध में उसे अनिवार्यतः संशोधित वेतनमान में लाया जाएगा।

नियम-6 यह नियम वह पद्धति विनिर्दिष्ट करता है कि विकल्प का चयन कैसे किया जाएए और किस अधिकारी को अपने विकल्प से अवगत कराया जाए। अपना विकल्प नियमों के साथ संलग्न फार्म पर ही उपलब्ध करवाना है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि रेल कर्मचारी के लिए इतना ही पर्याप्त नहींहे कि वह निर्धारित समय-सीमा के अंदर अपना विकल्य चुन ले बल्कि उसके लिए यह भी जरूरी है कि वह निर्धारित समय-सीमा के अंदर ही अपना विकल्प संबंधित अधिकारी तक पहुंचाए। अगर इस नियम के लागू होने के समय कोई रेल कर्मचारी देश के बाहर है तो उसे भारत में आकर अपना कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन महीने की समय-सीमा के अंदर अपना विकल्प संबंधित अधिकारी तक पहुंचाना होगा। उन रेल कर्मचारियों के लिए, जिनके पदों के संशोधित वेतनमान इन नियमों के जारी होने की तारीख के बाद घोषित किए जा चुके हैं, तीन महीने की अवधि ऐसी घोषणा की तारीख के बाद से मानी जाएगी।

जो कर्मचारी 1 जनवरी, 1996 और इन नियमों के जारी होने की तारीख के बीच सेवानिवृत हुए हैं उन्हें भी अपना विकल्प चुनने का अधिकार होगा।

नियम 7 (1) इस नियम का संबंध 1 जनवरी, 1996 को मौजूदा वेतनमानों में वास्तविक वेतन निर्धारण से है । नियम $7(1)$ के तहत नोट के अंतर्गत वेतन में वृद्धि करने के अध्यधीन इस उप नियम के अधीन किसी रेल कर्मचारी का वेतन किस प्रकार नियत किया जाना चाहिए उसके कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं :-

## उदाहरण- 1

1. मौजूदा वेतनमान
2. प्रस्तावित वेतनमान
3. मौजूदा वेतन
4. 1.1 .1996 को महंगाई भत्ता ( 1510 के सूचकांक पर) 5. अंतरिम सहायता की पहली किस्त 6. अंतरिम सहायता की दूसरी किस्त

750-12-870-14-940 रू.
2550-55-2660-60-3200 रू 786 रु.
1163 रु

100 रु.
(मूल वेतन का 10 प्रतिशत परन्तु न्यूनतम 100 रू.)
7. वर्तमान परिलिध्या
8. मूल वेतन का 40 प्रतिशत जोड़े

## कुल

9. प्रस्तावित वेतनमान में अगला स्टेज

समूहीकरण लाभों सहित, यदि लागू हो।
10. वर्तमान वेलनमान की प्रत्येक 3 वेतनवृद्धि

के लिए यदि प्रस्तावित वेतनमान में एक
वेतनवृद्धि सुनिश्चित की है तो प्रस्तावित
वेतनमान में वेतल की स्टेज
11. प्रस्तावित वेतनमाभ में निर्धारित किया जाने 2590 रु

वाला वेतन (क्रम सं. 9 या 10 पर वेतन
स्टेज इनमें जो भी अधिक हों)

उदाहरण-11

1. वर्तमान वेतनमान 1640-60-2600-75-2900 रु.
2. प्रस्तावित वेतनमाण 5500-175-9000 रु
3. वर्तमान वेतनमान 2360 रु.
4. 1.1.1996 को घहंगाई भत्ता (1510 3493 रु

के सूचकाक पर)
5 अंतरिम सहायता की पहली किस्व 100 रु
6 अंतरिम सहायता की दूसरी किस्त 236 रु
(मूल वेतन का 10 प्रतिशत परन्तु
न्यूनलम 100 रु.)
7. दर्तमान परिलबिध्यों
8. मूल वेतन का 40 प्रतिशत जोड़े

कल
7133 रु
9. प्रस्तावित वेत्नमान में अगली स्टेज समूहीकरण लाभों सहित, यदि लागू हो।

10 वर्तमान वेतनमान की प्रत्येक 3 वेतनवृद्धि के लिए यदि प्रस्तावित वेतनमान में एक वेतनवृद्धि सुनिश्चित की है तो प्रस्तावित वेतनमान में वेतन की स्टेज
11. प्रस्तावित वेतनमान में निर्धारित किया जाने वाला वेतन (क्रम सं. 9 या 10 पर वेतन की स्टेज जो भी अधिक हो)

6200 रु.

7250 रु.

उदाहरण - 111

1. वर्तमान वेतनमान
2. प्रस्तावित वेतनमान

3 वर्तमान वेतन
4. 1.1 .1996 को महंगाई भत्ता (1510 सूचकांक पर)
5. अंतरिम सहायता की पहली किस्त 100 रु
6. अंतरिम सहायता की दूसरी किस्त
(मूल वेतन का 10 प्रतिशत परन्तु न्यूनतम 100 रु.)
7. वर्तमान परिलध्धियां

8 मूल वेतन का 40 प्रतिशत जोड़ें

## कुल

9. प्रस्तावित वेतनमान में अगला स्टेज, समूहीकरण लाभों सहित, यदि लागू हो।
10. वर्तमान वेतनमान की प्रत्येक 3 वेतनवृद्धि के लिए यदि प्रस्तावित वेतनमान में एक वेतनवृद्धि सुनिश्चित की है तो प्रस्तावित वेतनमान में वेतन की स्टेज
11 प्रस्तावित वेतनमान में निर्धारित किया जाने 15100 रु
11 वाला वेतन (क्रम सं. 9 या 10 पर वेतन की स्टेज इनमें जो भी अधिक हो)

4500-150-5700 रु
14300-400-18300 रु.
5400 रु
5994 रु.

540 रु

12034 रु
2160 रु

14194 रु.

14700 रु

15100 रु. (मौजूदा वेतनमान
में 6 वेतनवृद्धियों के लिए
2 वेतनवृद्धियां)

नियम 7 (2) इस नियम का लाभ ऐसे माभलों में देय नहीं होगा जहां किसी रेल कर्मचारी ने अपने मूल पद के लिए संशोधित वेतनमान का चुनाव किया हो लेकिन स्थानापन्न पद के संबंध में मौजूदा वेतनमान को ही बरकरार रखा हो ।
नियम-8 यह नियम उस पद्धति को विहित करता है जिसके अनुसार नए वेतनमान में अगली वेतनवृद्धि विनियमित की जानी चाहिए, इस नियम के मूल भाग के कारण अपने से वरिष्ठ कर्मचारियों से अधिक वेतन पा रहे कनिष्ठ रेल कर्मचारियों की विसंगतियों को इस परन्तुक द्वारा दूर किया जा रहा है और इसके द्वारा उन रेल कर्मचारियों, जो 1.1 .1996 को एक वर्ष से अधिक समय से वर्तमान वेतनमान में अधिकतम वेतन पा रहे हैं और जो गतिरोध के कारण वर्तमान वेतनमान में अधिकतम वेतन पा रहे हैं और जो वास्तव में तदर्श आधार पर गतिरोध वेतनवृद्धि पा रहे हैं, का भी ध्यान रखा गया है ।

नियम-9 से 14 : ये नियम स्वतः स्थष्ट हैं।
[सं मी.सी. V/1/ सं.पी.सी. -V/97/आई./आर. एस.आर पी./1]
त्री. के अग्रवाल, संद्य (कामिंक), रेलवे बोर्ड और पदेन सचिव

# MINISTRY OF RAllWAYS <br> (Railway Board) <br> NOTIFICATION 

New Dethi, the 8th October. 1997
RBE No. $133 / 97$
G.S.R. 584 (E).-In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules, namely:--

1. Short tille and commencement :
(1) These rules may be called the Railway Services (Revised Pay) Rules 1997.
(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of January, 1996.
2. Categories of Railway servants to whom the rules apply :-
(1) Save as otherwise provided by or under these mules, these tules shall apply to persons appointed to Railway Services.
(2) These rules shall not apply to :-
(a) Permanent employees of lommer Indian States absorbed in Railway Services so long as such persons continue to be governed by the preabsorption conditions of service under the Railway Services;
(b) Persons locally recruited for service in Diplomatic, Consular or other Indian establishments in foreign countries;
(c) Persons not in whole time employment;
(d) Persons paid out of contingencies;
(e) Persons paid otherwise than on a monthly basis including those paid only on a piece-rate basis;
(f) Persons employed on contract except where the contract provides otherwise;
(g) Persons re-employed in Railway service after retirement;
(h) any other class or category of persons whom the President may, by order, specifically exclude from the operation of all or any of the provisions contained in these rules.
3. Definitions:- In these rules, unless the context otherwise requires:-
(1) "basic pay" means pay drawn in the prescribed scale of pay, including stagnation increment(s), but does not include any other type of pay like 'special pay', 'personal pay', etc.
(2) "existing scale" in relation to a Railway Servant means the present scale applicable to the post held by the Railway servant (or, as the case may be, personal scale applicable to him) as on the 1st day af January, 1996 whether in a substantive or officiating capacity.

Explanation:- In the case of a Railway servant, who was on the 1st day of January, 1996 on deputation out of India or on leave or on foreign service, or who would have on that date officiated in one or more lower posts but for his officiating in a higher post, "existing scale" includes the scale applicable to the post which he would have held but for his being on deputation out of India or on leave or on foreign service or, as the case may be, but for his officiating in a higher post;
(3) "Present Scale" in relation to any post/grade specitied in column 2 of the First Schedule means the scale of pay specitied against that post in column 3 thereol;
(4) "revised emoluments" means the basic pay of a Railway servant in the revised scale and includes the revised non-practising allowance, if any, admissible to him, in addition to the pay in the revised scale;
(5) "revised scale" in relation to any post specified in column 2 of the First Schedule means the scale of pay specified against that post in column 4 thereof unless a different revised scale is notified separately for that post;
(6) "Schedule" means a schedule annexed to these rules.

## 4. Scale of pay of posts :-

The scale of pay of every post/grade specified in column 2 of the First xchedule shall be as specitied against it in columu 4 thereot;

## 5. Drawal of pay in the revised scales :-

Save as otherwise provided in these rules, a Railway servant shall draw pay in the revised scale applicable to the post to which he is appointed;

Provided that a Railway servant may elect to continue to draw pay in the existing scale until the date on which he eams his next or any subsequent increment in the existing scale or until he vacates his post or ceases to draw pay in that scale.

Explanation 1: The option to relain the existing scale under the proviso to this rule shall be admissible only in respect of one exisfing scale.

Explanation 2:- The aforesaid option shall not be admissible to any person appointed to a post on or atter the 1st day of January, 1996, whether for the tirst time in Railway Service, or by transfer or promotion from another post and he shall be allowed pay only in the revised scale.

Explanaition 3:- Where a Railway servant exencises the option under the proviso to this rule to retain the existing scale in respect of a post held by him in an officiating capacity on a regular basis for the purpose of regulation of pay in that scale under Rule 1313(FR 29) of the Indian Railway Establishment Code, Volume II or any other rule or order applicable to that post, his substantive pay shall be the substantive pay which he would have drawn had he retained the existing sale in respect of the permanent post on which he holds a lien or would have held a lien had his hien not been suspended or the pay of the otficiating post which has acquared the character of substantive $p$ ay in doordathe with any order for the time being in loce, whichever is higher
6. Lxervise of Option:
(1) The option under the proviso to rale ', shall be experised in writing in the form apvended to the becond sihedule so as to reach the authority mention a sub rule(?) within three months of the date of pultication of these males or where an existing siate has been revised by any order made subsequent to that date. within three months of the date of surhorder:

## Provided that:-

(i) En the idere al a kailway Servant who is, on the date of such publication of, as the case may be, date of such onder, out of ladja on teate of depulation or ferego service or ative semve, the sad opten shall be exercised in wring so as to radh the said autherily within three months of the date of his laking charge ot his post in ludia; and
(ii) Where a Railway servant is under suspension on the lst daw if Janame 1990, the option may be oxemised withen theo montiss of the date of his return to his duty it that date is lates than the date prescribed in this sub rule
(2) The option shall be intimated by the Rallaty servant to the Head ed his omice.
(3) If the intontion regarding option is mot recelved within the time mentioned in sub rupe() the Ralwa servan shal be dernen :n
have elected to be governed by the revised scale of pay with effect on and from the 1st day of lanuary, 1996.
(4) The option once exercised shall be final.

Note: 1. Persons whose services were terminated on or after the 1st day of January, 1996, and who could not exercise the option within the prescribed time limit, on account of death, discharge on the expiry of the sanctioned posts, resignation, dismissal or discharge on disciplinary grounds, are entitled to the benefits of this rule.

Note:2- Persons who have died on or after the 1st day of January, 1996 and could not exprcise the option within the prescribed time limit be deemed to have opted for the revised scales on and trom the 1st day of January, 1996,or such later date as is most beneticial to their dependents, if the revised scales are more tavourable and in such cases, necessary action for payment ot arrears should be laken by the Head ot Ottice.

## 7. Fixation of initial pay in the revised scale :-

(1) The initial pay of a Railway servant whe elects, or is deemed to have elected under sub rule(3) of nute of to be govemed bv the revised scale on and from the Ist day of Jamuary, 1996 , shall, unless in any case the President by special order otherwise direds, be tixed separately in respect of his substantive pay in the permanent pest on which he holds a lien or would have held a lien it it had not been suspended, and in respect of his pay in the olliciating post held be him, in the following manner, namelv:
(A) in the case of all empioyeres:
(i) an amoun representing 40 per cent of the basic pay in the existing sode shall be dided th the 'rasting emotunents' of the emplovee:
(ii) atter the existing emtuments have been so imteased, the pay shath thereater he tived in the revised scale at the stage nex aboce the amount thas omputed.

## Provided that

(a) if the minmum of the pevised siale is more than the amome so arrived at, the par shall be tived at the mimimum of the revised scale:
(b) if the amotin! se orteved at is more than the mommon ol the tevisod sale, the pay shatl to ited al the maximum ot hat scate
where in the fixation of pay, the pay of Railway servants drawing pay at more than four consecutive stages in an existing scale gets bunched, that is to say, gets fixed in the revised scale at the same stage, the pay in the revised scale of such of these Railway servants who are drawing pay beyond the first four consecutive stages in the existing scale shall be stepped up to the stage where such bunching occurs, as under, by the grant of increment(s) in the revised scales in the following manner, namely:
(d) for Railway servants drawing pay trom the 5 th upto the 8 th stage in the existing scale - by one increment
(b) for Railway servants drawing pay from the 9 th upto the 12 th stage in the existing scale, if there is bunching beyond the 8th stage - by two increments
(c) for Railway servants drawing pay from the 13th upto the 16 th stage in the exsting scale, it there is bunching beyond the 12 h stage by three increments

If by stepping up of the pay as above, the pay of a Railway servant gets fixed at a stage in the revised scale which is higher than the stage in the revised scale at which the pay of a Railway servant who was drawing pay at the next higher stage or stages in the same existing scale is fixed, The pay ot the latter shall also be stepped up only to the extent by which it talls short of that of the former.

Provided also that
the fixation thus made shall ensure that every employee will gel atleast one increment in the revised scale of pay for every three increments finchasive of stagnation increment(s), if any) in the existing scale of pay.

Explanation: For the pupose of this clause "existing emoluments" shall inchude
(i) The basic pay in the existing suale:
(b) deamess allowance appropriate to the basic pay admissible at index average $1510(1960-100)$, and
(c) the amounts of tirst and second instalments of interim reliet atmissible on the basic pay in the existing side;
(B) In the sase of employees who are in receipt of special pay/allowance in doditimn to pay in the existing siale which has been recommended for replacement ly asale of pay without any special pay/allowance, pay shall be fixed in the romsed scale in atordance with the provisions of clause (A) above erept that in subtases "oxisting emoluments" shall include -
(d) The basic pay in the eristing scale,
(b) existing amount of spectal pay/allowance:
(c) admissible deamess allowance at index average 1610 (100) 100 )under the relevant arders; and
(d) the amounts of first and second instalments of interm reliel admissible on the basic pay in the wisting siale and special pay under the relevan orders;
(C) in the case of employees who are in receipt of special pay component with any other nomenclature in addition to pay in the existing sodes, such as personal pay tor promoting small family norms, specid pay to Parliament Assistants, Central (Deputation on Tenure) Allow dhe et., and in whose case the same has been replaced in the revised scale with corresponding allowance/pay at the same rate or at a different rate, the pay in the revised scale shall be fixed in accordance with the provisions of clause(A) above. In such cases the allowance at the new rate as recommended shall be drawn in addition to pay in the revised scale of pay;
(D) in the case of Railway medical officers who are in receipt of non-practising, allowance, the pay in the revised scale shall be tixed in accordance with the provisions of clause (A) above except that in such cases the tem "existing emoluments" shall not include NPA and will comprise only the following
(a) the basic pay in the existing scale;
(b) dearness allowance appropriate to the basic pay \& non practising allowance admissible at index average $1510(1960=100)$ under the relevant orders; and
(c) the arnounts of first and second instalments of interim relief admissible on the basic pay in the existing scale and non practising allowance under the relevant orders,
and in such cases, non-practising allowance at the new rates shall be drawn in addition to the pay so fixed in the revised scale.

Note 1. The Railway servants drawing pay upto the stage of Rs. 1030 in the existing scale of Rs.775-12.871-14.955-15-1030-20-1150 shall be fixed in 5.2 scale of pay and those drawing pay beyond the stage of Rs. 1030 shall be fixed in 5.3 scale of pay.

Note 2 - Where the increment of a Railway servant falls on the 1st day of January, 1996, he shall have option to draw the increment in the existing scale or the revised scale.

Note 3- Where a Railway servant is on leave on the 1 st day of January, 1996, he shall become entitled to pay in the revised scale of pay from the date he joins duty. In case of Railway servant under suspension he shall continue to draw
subsistence allowance based on existing scale of pay and his pay in the revised sale of pay will be subject to final order on the pending disciplinary proceedings.

Nole 4 Where a Railway servant is holding a permanent post and is officiating in a higher post on a regular basis and the scales applicable to these two posts are merged into one scale, the pay shall be fixed under this sub-rule with reference to the ofticiating post only, and the pay so fixed shall be treated as substantive pay.

The provisions of this Note siall apply, mutatis mutandis to Railway servants holding in an officiating capacify posts on different existine scales which have been replaced by a single revised scale.

Note 5 . Where the existing emoluments as calculated in accordance with clause (A), clause (B), clause (C) or clause (D), as the case may be, exceed the revised emoluments in the case of any Railway servant, the difference shall be allowed as personal pay to be absorbed in future increases in pay.

Nole 6 . Where in the fixation of pay under sub-rue (i), pay, of a Railway servant, who, in the existing scale was drawing inmediately betore the 1 st day of January, 1996, more pay than another Railway servant junior to him in the same cadre, gets fixed in the revised scale at a stage lower than that of suh junior, his pay shall be stepped upto the same stage in the revised scale as that of the junior.

Nolel. Where a hailway servant is in receipt of personal pay on the lst day of Jamory, 1996, which logether with his existing emoluments as calculated in accordance with clause (A), clause (B), clase (C) or clause (D), as the case may be, exceeds the revised emoluments, then, the difference representing such excess shall be allowed to such Railway servant as personal pay to be absorbed in future increases in pay.

Note8. In the case of employees who are in receipt of personal pay for passing Hindi Pragya, Hindi Typewriting, Hindi Shorthand and swh other examinations under the "Hindi Teaching Scheme", or on successtully undergoing training in cash and accounts matters prior to the 1 st day of January, 1996, while the personal pay shall not be taken into account for purposes of fixation of initial pay in the revised scales, they would contime to draw personal pay after fixation of their pay in the revised scale on and trom the 1 st day of Jonuary, 1996 , or subsequently for the period tor which they would have drawn il but for the fixation of their pay in the revised scale. The quantum of such personal pay would be paid at the appropriate Gate therement in lio revised scale from the date of tixation of pay for the period for which the employee would have contmued to draw it.

Explanation :- For the purpose of this Note," appropriate rate of increment in the revised scale" means the amount of increment admissible at and immediately beyond the stage at which the pay of the employee is fixed in the revised scale.

Note9.- In cases, where a senior Railway servant promoted to a higher post before the 1st day of January, 1996 , draws less pay in the revised scale than his junior who is promoted to the higher post on or after the 1 st day of Jamuary, 1996, the pay of the senior Railway servant should be stepped up to an amount equal to the pay as fixed for his junior in that higher post. The stepping up should be done with effect from the date of promotion of the junior Railway servant subject to the fulfilment of the following conditions, namely:
(a) both the junior and the senior Railway servants should belong to the same cadre and the posts in which they have been promoted should be identical ut the same cadre,
(b) the pre revised and revised scales of pay of the lower and Higher posis in which they are entitled to draw pay should be identical,
(c) the senior Railway servants at the time of promotion have been drawing equal or more pay than the junior,
(d) the anomaly should be directly as a result of the application of the provisions of Rule 1313(FR22) of Indian Railway Establishment Code, Volume II or any other Rule or order regulating pay fixation on such promotion in the revised scale. If even in the lower post, the junior ofticer was drawing more pay in the pre-revised scale than the senior by virtue of any advance increments granted to him, provision of this Note need not be invoked to step up the pay of the senior officer.

The order relating to refixation of the pay of the senior officer in accordance with the above provisions should be issued under Rule 1321 (FR 27) of Indian Railway Establishment Code, Volume II and the senior officer will be entitled to the next increment on completion of his required qualifying service with effect from the date of refixation of pay.
(2) Subject to the provisions of rule 5, if the pay as lixed in the officiating post under sub-rule(1) is lower than the pay fixed in the substantive post, the former shall we fixed at the stage next above the substantive pay.

## 8. Date of next increment in the revised scale -

The next increment of a Railway servant whose pay has been fixed in the revised scale in accordance with sub-rule (1) of rule 7 shall be granted on the date he would have drawn his increment, had he contimed in the existing scale :

Provided that in cases where the pay of a Railway servant is stepped up in terms of Note 6 or Note 9 to sub-rule (1) and also second proviso to sub-rule(1)
of nhe? the mev inmement shall be grated on the comptetion of qualitying servise of twelve nonths mom the date of the stepping up of the pay in the revised siale.

Provided further that in cases other than those covered by the preceding proviso, the next increment of Railway servant, whose pay is tixed on the ist day at lamary, 1996 al the same stage as the one fixed for another Railway servant funior to himin the same cadre and drawing pay at a lower stage than his in the evisting sale, shall be granted on the same date as dmissibile to his junior, if the date of increment of the junior happens to be earlier.

Provided also that in the case of persums who had been drawing maximum of the existing scale for more than a yeat as on the Ist day of Jamary, 1996 , ned therment in the revised stale shall be allowed on the lst day of January, 1096.

Vole 1. Ircases where wo existing scales, one being promotional scale tor the other ofe merged, and the jmior Rallway servant, now drawing his pay at equal or burat stage in the lower sude of pay and happens to draw more pay in the revised sate than the pay of the senior Railway servant in the existing higher scate, the pay of the senion katwas servant in the revised scale shall be stepped upto that of his funtor trom the same date and he shall draw nox increment atter completing the qualitring period from the date of suh stepping up ot pay.

## 9. Iixalion of pay in the revised scale subsequent to the ist day of lanuary. 1996 :-

Where a Railway servant contimes to draw his pay in the existing, sale and is broush over to revised scale from a date later than the ist day of fanuay, 1996, his pay tron the later date in the revised scale shall be tixed under the Railway Fundamental Rules and for this purpose his pay in the existing scale shall have the same nedaing as of existing emoluments as alculted in acordance with chase (A), chase ( F ), clause (C) or clause (D), as the case may be, of sub-rule (I) of rale 7 except that the basic pay to be taken into account for cakudation of those moluments will be the hasic pay on the later date aforesad and where the Railway servant is in receipt of special pay or non practising allowance, his pay shall be fixed ater deducting from those emoltaments an amount equal to the spectal pay of non practising allowane as the case may be, at the revised rates appropriate to the moluments socatuled.

## 10. Fixation of gay on reappointment after the 1st day of lanuary, 1996 to a post held prior lo that ditte :-

A Ralway servant who had ofticiated in a post priot to the lst day of lamary, 1996, but was not holding that post on that date and whe un subsequent appombment to that post diaws pay in the revised scale of pay shall be allowed the benetit of the proviso to Rule 1313 (FR22) of the Indian Railway Fstablishment Code,

Volume II, to the exient it would have been admissible had he been holding that post on the 1st day of Jamary, 1996, and had elected the revised scale of pay on and from that date.

## 11. Mode of payment of arrears of pay :

The arrears would be paid in cash with the stipulation that where the amount of arrears is less than Rs.5000, it should be paid in one instalment and where it is in excess of Rs.5000, it should be paid in two instalments; in the first instalment payment should be restricted to Rs .5000 plus fifty percent of the balance amount of arrears.

Explanation :- For the purposes of this rule :
(a) "arrears of pay", in relation to a Railway servant, means the difterence between
(i) the aggregate of the pay and allowances to which he is entitied on account of the revision of his pay and allowances under these mules, for the relevant period; and
(ii) the dggregate ot the pay and allowances to which he would have been entitled (whether sikh pay and allowances had been received or not) for that period had his pay and allowances not been so revised.
(b) "relevant period" means the period commencing on the 1st day of January, 1996, and ending with the 30th September, 1997.

## 12. Overriding effect of Rules:-

The provisions of the Railway Fundamental Rules, the Railway Services (Revision of Pay) Rules, 194\%, the Railway Services (Authorised Pay) Rules, 1960, the Railway Services (Revised Pay) Rules, 1973 and the Railway Services (Revised Pay) Rules 1986, shall not, save as otherwise provided in these rules, apply lo cases where pay is regulated under these rules, to the extent they are inconsistent with these rules.

## 14. Power to relax :-

Where the President is satisfied that the opetation of all or any of the provisions of these rules causes undue hardship in any particular case, he may, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as he may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner

## 14. Interpretation :-

If any question arises relating to the interpretaion of any of the provisions of these rules, it shall be reterred to the Railway Board for decision.

Revised scales tor posts carying present scales in Group ' $C^{\prime}$, ' ${ }^{\prime},{ }^{\prime} B$ ' \& ' $A$ ', except posts tor which ditierent revised siales are notitied separately, in the Ottices of - (1) Raluray Boad Secretariat, () Reseamh, Designs \& Standards Organisation, Luknow (3) Rathaty Statf College, Vadodara, (4) Railway Rates Tribunal, Chentai, (S) Railway Claims Tribumal Now Delhi (6) Rail Movements (Coal), Calcutta, (7) All Raifway Recruitment Boards, (8) Lndian Railway Institute of Signal Engineering \& Teleommunication, Secunderabad, (9) Indian Railway Institute of Oivil Engineering, Pune, (10) Indian Railway Institute of Electrical Engineering, Nasik. (11) Indian Railway Institute of Mechanical and Electrical Engineering, Jamalpur, (12) Centre Lor Advanced Maintenance Technology, Gwalior.

| $\begin{aligned} & \mathrm{s} . \\ & \mathrm{NO} \end{aligned}$ | SCALENO. |  | PRESENT SCAIE (Rs.) | REVISED SCALE (Rs.) |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1. | 5.1 |  | 750.12870 .14 .940 | $\begin{aligned} & 2550-55-2660.60 \\ & 3200 \end{aligned}$ |
| 2. | $5 \%$ |  | 775-12871-14-1025 | $\begin{aligned} & 2610-60.315065 \\ & 3540 \end{aligned}$ |
| 3. | 53 |  | 800-15-1010.20-1150 | $\begin{aligned} & 2650-653300.70 \\ & 4000 \end{aligned}$ |
| 4. | 54 |  | 8231590020.1200 | $\begin{aligned} & 2750.70-380075 \\ & 4400 \end{aligned}$ |
| 5. | $5-5$ | (a) <br> (b) <br> (c) | $\left.\begin{array}{l} 950.20-115025-1400 \\ 95020-1150-25-1500 \\ 115025-1500^{*} \end{array}\right]$ | $\begin{aligned} & 3050.753950-80 \\ & 4590 \end{aligned}$ |
| 6 | 56 | (a) <br> (b) | $\left.\begin{array}{l} 975.25-115030-1540 \\ 97525 \cdot 1150-301660 \end{array}\right]$ | 3200-85-4900 |

* personal to the mombents (Ref PC-M/80hmplshedule 1 dated 63 :087)

\#For RaF, the scale will be personat to the ncumbents The number of fosts a this sale will be separately notifed

| $\begin{aligned} & \mathrm{S} \\ & \mathrm{NO} \end{aligned}$ | $\begin{gathered} \text { SCALE } \\ \text { NO. } \end{gathered}$ | PRESENT SCALE (Rs.) | REVISED SCALE (Rs.) |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 21 | 5.29 (a) <br> (b) | $\begin{aligned} & 5900-200-6700 \\ & 5900200.7300 \end{aligned}$ | 18400-500-22400 |
| 22. | 530 | 73001007600 | 22400-525-24500 |
| 23. | 531 | $7700200 \% / 500250.8000$ | $22400 \cdot 60026000$ |
| 24. | 532 | $7600 /$ FRXED | 24050-650-26000 |
| 25. | 533 | 8000/FIXED | 26000/FIXED |

## INSIRCCIIONS:-

(1) The revised seales of pay are applicable for all categories of Railway servants irrespedive of their designations strictly on the basis of the existing scales of pay exept those who ate covered by S.No. 13 (S14) which is applicable only to Group ' $B$ ' ofticers of Railways in present scale Rs. $2375-75-3050$ 100. 3750 (exept Ralway Board \& RDSO). Fixation is to be made directly in the Revised sale $\&$ mot in the notional pre revised scale.
(?) The existing dassitication of Railway servants in Group ' $D^{\prime},{ }^{\prime} C^{\prime}, B^{\prime}$ \& ' $A^{\prime}$ on the basis ot the existing scales of pay will continte in the revised scales till further orders. No shange in the classitication should be made in the revised scales.
(3) The proposed new pre revised sale of Rs. 25004000 (as it corresponds to a revised sade of Rs. 7500 12000) is lower scale than Rs. 2200.4000 (as it corespende to a revised scale of Rs, 8000-13500).
(4) The revised soale S-10 A(Rs.6000-190.9800) is specific to the category of Mal/ Hxpless/SrPassenger Drivers/Sr.Motormen in the present scale of ks. $1640602600.75-2900$. It is not applicable to any other category of statf.

## IMI SLCOND SCHEDULL

## GRM OF OPTION

[See Rule 6(1)]
(i)

1
with eftect hom ist lanmary 1990

- (ii) 1
hereby elect to continue an
the existing scale of pay of my substantive/otficiating post mentioned below until:
- the date of my ne ithrement
- the date at my subsequent increment rasing my pat to Rs.
* I vacate or case to draw pay in the existing scale.

Existing scale $\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
hereby elect the revised scale
$\qquad$解

## 

## ACKNOWLEDGEMENI

Received trom "Shri/Smt/Kum.
*S\%/D/o/W/o $\qquad$ Designation Office/ Station an option:
*(i) electing the revised scales of pay for all the posts from the Ist day of Jamuary, 1996.
*(ii) electing to continue on the existing scale of pay of his substantive; officiating post mentioned below until

* the date ot his next increment
* The date of his subsequent increment raising his pay to $R s$.
* he vacates or ceases to draw pay in the existing scale.

Existing sode $\qquad$

* (iii) electing to draw his increment falling on 1.1 .96 * d) in the existing scale $\qquad$ OR * b) revised scale;

Signature $\qquad$
Designation $\qquad$
Ottice in which employed

## Date

Station

* to be scored cat if mot applicable.

Rel Note? of Rule?
The First So heduie relates to only prosts in the Otfice of the Railwoy boand and ifs atached and subordinate oftices. The shedule in resped a posts on Raibave Producton Units, Propets and other othes is being issued separateb muder oxecutive orders.

## MEMORANDUA EXPIANATORY TO THE RAILWAY SERVICES (REVISID PAY) RLTES, 1997

Rule 1- This tule is selt-explanatory.
Rule 2- This rule lays donn the categories of employees to whom the rules apply. Exept tor the categories excluded under clause (2), the rules are applicable to all persons under the rule making sontrol of the President serving under the administrative control of the Railway Board.

Rule 3 . This rule is selt-explanatory.
Rule 4. The recommendations of the Commission on pay scales for certain categories/class of empioyees of the Central Govermment, have given rise to representations from other categories of employees on the ground of upsetting the existing relativilies and parities. In all such cases, where the recommendation is for upgradation of pay scales tor individual categories of posts in a Department or cadre otherwise than by rationalisation of pay scales, for the present the nomal replacement pay $x$ ales for the existing siales of pay as shown in the First Schedule shall be allowed. Separate orders in such cases will be issued subsequently

Rule 5- The intention is that all Railway servants should be brought over to the revised scale except those who elect to draw pay in the existing scales. Those who exercise the option to contime on the existing scales of pay will contime to draw the deamess allowance and interim reliets at the rates in fome on the Ist Jamuary, 1996, and the dearness allowance will count towards the emoluments tor pension. etc. to the extent it so counted on the said date. If a Railway servant is holding a permanent post in a substantive capacity and officiating in a higher post or would have officiated in one or more posts but tor his being on deputation etc, he has the option to retain the existing scale only in respect of one scale. Such a Railway servant may retain the existing scale applicable to a permanent post or any one of the officiating posts. In respect of the remaining posts he will necessarily have to be brought over to the revised scales.

Rule 6 : This rule prescribes the manner in which option has to be exercised and also the authority who should be apprised of such option. The option has to be exercised in the appropriate form appended to the rules. It should be noted that it is not sufficient for a Railway Servant to exercise the option within the specified time limit but also to ensure
that it reaches the prescribed authority within the time limit. In the case of persons who are outside India at the time these rules are promulgated, the period within which the option has to be exercised is three frowths from the date they take over charge of the post in India. In the case of Railway Servants the revised scales of whose posts are aronoumed subsequent to the date of issue of these rules, the peried of three mondhs will run tron the date of such announcement.

Persons who have retired between 151 Jamary, 1996 and the date of issue of these rules are also eligible to exercise option.

Rule 71) This rule deals with the actual tixation of pay in the pasting scales on lst day Jamuaty, 1996. A few illustrations indicating the mannet in which pay of Railway servants should be tixed under this sub tule subject to stepping up of pay under Notes below male '(1) are given below:-

## Ilustration No. 1

| 1. | Existing Scale of Pay | Rs/800 12 8/0 17940 |
| :---: | :---: | :---: |
| 2. | Proposed Scale of Pay | Rs. 255055 ? 600603900 |
| 3. | Existing Pay | Res. 786 |
| 4. | D. A. as un 1.1.96 (atindex level 1510 ) | Rs. 1163 |
| 5. | Ist Instalment of 1 N . | Rs. 100 |
| 6. | 2nd mstament oflk. a 10 \% of basic pay subpet to min of Rs 100 | Rs. 100 |
| 7. | Existing emoluments | R.s. 149 |
| 8. | Add 40\% of basic pay | Rs. 314 |
|  | Total | RS. 963 |
| 9. | Stage nex above in the proposed seale intuding benetit of bunching, it admissible. | Rs 2550 ( Am ( ${ }^{\text {a }}$ |
| 10. | If I increntent is ensured in the proposed scale tor every 3 increments in the existing scale, the stage of pay in the proposed scale. | Rs.260: |
| 11. | Pay to betixed in the | Rs.2005 |

proposed scale (stage of pay at Sl. No. 9 or 10 whichever is higher).

Illustration No.II

1. Existing Scale of Pay

Rs. 1640 -60.2600.752900
2. Proposed Scale of Pay
3. Existing Pay
4. D.A. as on 1.1.96 (at index level 1510)
5. Ist instalment of IR.
6. $\quad$ 2nd Instalment of I.R. $10 \%$ of basic pay subject to min. of Rs. 100.
7. Existing emoluments
8. Add $40 \%$ of basic pay

## Total

9. Stage next above in the proposed scale including benetit of bunching, it admissible.
10. It I increment is ensured in the proposed scale tor every 3 imrements in the existing scale, the stage of pay in the proposed scale.
11. Pay to be tixed in the proposed scale (slage of pay at SI No. 9 or 10 whichever is higher).

## Illustration No.III

1. Existing Scale of Pay
2. Proposed Scale of Pay
:. Existing Pay
3. D.A. as an 1.1 .96 (at index level 1510)
$\therefore \quad$ Ist Instalment al I.R.
4. 2nd Instalment of IR © $10 \%$ of basic pay subject to min. of Rs. 100.

Rs.5500-175.9000
Rs. 2360
Rs. 3493

Rs. 100
Rs. 236

Re. 6189
Rs. 944

Rs. 7133

Rs. 7250

Rs. 6 ? 00

Rs. 7250

Rs. 4500150.5700
Rs. $14300400 \cdot 18300$
Rs. 5400
Rs.5994.

Rs. 100
Rs. 540
7. Existing emohuments

8 Add a0\% at basic pay
Total
9. Stage nex above in the
proposed serse indmaing
bereta of bumbios, if
datursibe
10. If i imrement is ensured
in the proposed scrime tor every 5 indements in the
exsting sate the stase
af pat in the popasot
state
11. Var to be fived isther
meposed materstege at
patat vo atoll
wheherationthery

Rs. 12034
Rs. 2160

Rs. 14194

Rs. 14700

Rs. 15100 (two inhrements for 6 increments in the existing, scate)

Rule 7 (2)
Tho betedit of this thet is not admissible in cases where a Railway atan has weded the reased seate in resped of his substantive post, Het ha, tetatmed the existines sale in resped of an ofticiating post.
 fow shap stond be regulded. The provisos to this rule are intended formmaty the amomatios of fumior Railway Servants drawing more bes than then sentior by the apration of the stabstative part of this the and den ahing, case of the kalw dy servants who have been deaning pay at the maximum of the existing sole for mere than one sea is un 1.196 , ame also those Railway servants who have been जhembing, at the mamum of the existing seale dand ate actually in mespef stasimbon mement on ad hoe basis.

No, PC VINo PC-V97/IRSRP/1|
V.K. AGARWAL. Member (Staft), Railway Board and Ex-Officio Secretary

